प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिनांक 27.11.2018 को विभागीय पदाधिकारियों के साथ आयोजित विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देश :–

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 27.11.2018 को विभागीय पदाधिकारियों के साथ कार्यों की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी उपस्थित हुए। बैठक में निम्नवत निर्देश दिये गये :–

1. Planning Area Authority एवं ULB Restructuring के पद सृजन का प्रस्ताव प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति हेतु शीघ्र भेजा जाय। इसमें ULB Restructuring के पद सृजन का प्रस्ताव की स्वीकृति परिचालन विधि के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया जाय।

   (अनुपालन :– श्री भरत झा, निदेशक, न०प्र०)
2. नगर निकायों में समूह 'ग' कर्मियों के लिए सेवा नियमावली का गठन एवं इन कर्मियों के स्थानांतरण की नीति के संबंध में DMI को मंतव्य हेतु भेजा जाय। **(अनुपालन :– श्री भरत झा, निदेशक, न०प्र०)**
3. नगर निकायों का निर्वाचन पार्टी आधारित करने एवं महापौर/अध्यक्ष का सीधे निर्वाचन हेतु भी प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए DMI को भेजा जाय। **(अनुपालन :– श्री संजय कुमार, विशेष सचिव)**
4. बिहार नगर सेवा के पदाधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजने की कार्रवाई की जाय। **(अनुपालन :– श्री भरत झा, निदेशक, न०प्र०)**
5. TCPO के पदों के सृजन हेतु निदेशक, नगरपालिका प्रशासन एवं श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव का दल गठित किया जाय। यह दल 15 के अंदर प्रस्ताव विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएगी।

   (अनुपालन :– श्री भरत झा, निदेशक, न०प्र०)
6. आरा, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया एवं बोधगया स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना का डी०पी०आर० बुडको को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु स्मार पत्र भेजा जाय। **(अनुपालन :– श्री के०डी० प्रोज्ज्वल, उप सचिव)**
7. राज्य के नगर निकायों द्वारा प्लास्टिक बैन से संबंधित नियमावली अधिसूचित किया जाना है तथा दिनांक 14.12.2018 से नगर निकायों में प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध प्रभावी है। इस संबंध में नगर निकायों के साथ प्रतिदिन समन्वय किया जाय और एक प्रपत्र बनाकर इसकी प्रविष्टि किया जाय कि किन–किन नगर निकायों में प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग पर जुर्माने की कितनी राशि की वसूली की गयी है, कितने व्यक्तियों से वसूली हुई आदि। इस प्रतिवेदन को साप्ताहिक रूप से अधोहस्ताक्षरी के अवलोकन हेतु भेजा जाय। **(अनुपालन :– श्रीमती इन्दु कुमारी, वि०का०प०)**
8. राज्य के नगर निकायों में Water User Charge Policy तैयार किया जाय। इस पॉलिसी में User Charge को होल्डिंग टैक्स के आधार निर्धारण पर विचार किया जाय तथा इसमें Construction Site पर पानी के उपयोग, व्यवसायिक संस्थान/होटल आदि के लिए User Charge का प्रावधान किया जाएगा।

   (अनुपालन :– श्री संजय कुमार, विशेष सचिव/श्री सोमेश कुमार सिंह, का०अभि०)
9. विभाग द्वारा 5 संस्थाओं के साथ योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहयोग हेतु MOU किया गया है। इन संस्थाओं द्वारा कब से कार्य प्रारंभ किया जाएगा और संस्था से कौन कर्मी विभाग में उपलब्ध होंगे, इस संबंध में संबंधित एजेंसियों से प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय। इस संबंध में एक format तैयार किया जाय कि इन संस्थाओं द्वारा प्रत्येक माह में क्या कार्य किया जाना है और इसके विरूद्ध अभी तक इनके द्वारा क्या कार्य किये गये हैं। इसका मासिक तौर पर प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा।

   (अनुपालन :– सभी संबंधित पदाधिकारी)

10. विधानमंडलीय मामलों यथा प्राक्कलन समिति, ध्यानाकर्षण समिति, आश्वासन समिति, निवेदन समिति, याचिका समिति आदि से संबंधित प्रश्नों की साप्ताहिक समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जाय एवं लंबित मामले का शीघ्र निष्पादन कराया जाय तथा अनुपालन प्रतिवेदन अवलोकन हेतु नियमित रूप से संचिका में उपस्थापित किया जाय। **(अनुपालन :– श्री भरत झा, निदेशक, न०प्र०)**

11. बिहार राज्य आवास बोर्ड से संबंधित कई मामलों में माननीय न्यायालय में वाद दायर है, जिससे संबंधित कई मामले विभाग स्तर पर अथवा बिहार राज्य आवास बोर्ड के स्तर पर लंबित हैं। निर्देश दिया गया कि इन मामलों की साप्ताहिक रूप से समीक्षा एवं अनुश्रवण कर निष्पादन कराने की कार्रवाई की जाय। **(अनुपालन :– श्री भरत झा, निदेशक, न०प्र०)**

12. शहरों का मास्टर प्लान बनाने हेतु मास्टर कंसल्टेंसी के चयन हेतु NIT बनाकर एक सप्ताह के अंद संचिका में उपस्थापित किया जाय। **(अनुपालन :– TCPO)**

13. Property Tax के bid के evaluation हेतु श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय दल गठित किया गया है, जिसका प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। निर्देश दिया गया कि दिनांक 03.12.2018 तक bid का evaluation करके प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से उपस्थापित किया जाय। **(अनुपालन :– श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव)**

14. नाली–गली योजना एवं पेयजल निश्चय योजना की अद्यतन स्थिति की प्रविष्टि हेतु एक App तैयार किया जाय, जिसमें निर्माण किये जा रहे नाली–गली एवं पेयजल कनेक्शन की भौतिक स्थिति की प्रविष्टि प्रतिदिन नगर निकायों द्वारा सीधे की जाएगी और इसे विभाग द्वारा भी देखा जा सकेगा। इस हेतु MIS द्वारा विकसित ~~App~~ software का अध्ययन कर लिया जाय एवं NIT, Patna का भी सहयोग प्राप्त किया जाय। **(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–2)**

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

28/11/2018

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 6156 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 29/11/18

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/Team Leader, PMC (NULM)/Team Leader, SPMG/Team Leader, MIS/अभियंत्रण कोषांग/TCPO/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/11/2018

प्रधान सचिव